

कार्यालय

प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल

क्रमांक/ एफ -६/२००५ /१०-१०/३९१०/

भोपाल : दिनांक २४/

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

समस्त वन मण्डलाधिकारी

मध्यप्रदेश ।

विषय :- उड़न दस्ता वाहनों का वन सुरक्षा के अतिरिक्त अन्य दि कार्य हेतु
उपयोग पर प्रतिबंध ।

देखने में आया है कि प्रायः उड़न दस्ता हेतु निर्धारित वाहन का उपयोग गश्ती, जप्ती अथवा जप्त वनोपज के परिवहन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी किया जाता है । हाल ही में भोपाल में आयोजित वन मेले में कई वनमण्डलों / वृत्तों के उड़न दस्ते के वाहन सप्ताह भर भोपाल में रहे । जिस पर स्थानीय भीड़िया ने आपत्ति भी ली ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उड़न दस्ता वाहनों का उपयोग केवल गश्ती, जप्ती, जप्त वनोपज के परिवहन और वन सुरक्षा से संबंधित कार्यों के लिये ही किया जाय अन्य किसी कार्य के लिये नहीं ।

Hanuman
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश 27.12.2009